आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–59 / 2023	
17.11.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता के अन्य प्रतिनिधि के तौर पर श्री कामेश्वर सिंह, ग्राम–लालगद व पंजरी खुर्द, प्रखण्ड–विश्रामपुर, जिला–पलामू आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू आयोग कार्यालय में उपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू एवं अन्य शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि के तौर पर श्री कामेश्वर सिंह उपस्थित हैं। श्री कामेश्वर सिंह का कहना है कि आयोग के पिछले आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जबकि आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आयोग के आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता एवं अन्य लाभुकों को आयोग के आदेश के आलोक में सवा गुणा के दर से बकाया अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने शिकायतकर्ता एवं अन्य लाभुकों द्वारा प्राप्त अनाज के विरूद्ध किये गये अपने हस्ताक्षर एवं अंगूठे का विवरणी आयोग को भेजा है। लिखित प्रमाण होने के बावजूद अन्य शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि का कहना है कि वे जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से सहमत नहीं हैं। अन्य शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि श्री कामेश्वर सिंह का कहना है कि कुल–153 क्विंटल अनाज की कालाबाजारी की गई है। आयोग शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि को यह बताना चाहता है कि आयोग का अधिकार क्षेत्र यह सुनिश्चित करना है कि लाभुकों को उनका बकाया अनाज उपलब्ध करा दिया जाए और नियमित तौर पर उन्हें उस मात्रा में अनाज मिले, जितना सरकार द्वारा निर्धारित है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आयोग को भेजे प्रतिवेदन और सूची की प्रति उपलब्ध कराते हुए निर्देश देता है कि वे लिखित तौर पर यह बताएँ कि किन लोगों को अब तक किस अवधि का अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है। शिकायतकर्ता लिखित तौर पर अपनी सूची आयोग को भेजें, ताकि आयोग उस सूची की जाँच जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से करा पाए। मामले की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–15.12.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.12.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyauf\Vinod Sir\Commission order.docx131	